FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0094 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 10/04/2026 16:24 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** शनिवार **Date From (दिनांक से):** 07/02/2026 **Date To (दिनांक तक):** 07/02/2026

Time Period (समय अवधि): पहर 5 **Time From (समय से):** 14:15 बजे **Time To (समय तक):** 15:00 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 10/04/2026 **Time (समय):** 15:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 10/04/2026 16:24:24 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** EAST, 115 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** AAROPI KA NIWAS STHAN CHHAPARI KHURD, TEHASIL DIDWANA, JILA DIDWANA KUCHAMAN

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** MAKSOOD ALI

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** KASIM ALI

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1976 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	KAYAMKHANI HOSTAL KE SAMNE, BALIYA ROAD DIDWANA, डीडवाना-कुचामन, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	KAYAMKHANI HOSTAL KE SAMNE, BALIYA ROAD DIDWANA, डीडवाना-कुचामन, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	SALAWAT KHAN		पिता:BHANWARU KHAN	1. CHHAPRI KHURD,DIDWANA, डीडवाना-कुचामन,RAJASTHAN, INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		8,00,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 8,00,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नागौर (राज.), विषय - वक्फ बोर्ड के कर्मचारी सलावत खां को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़वाने बाबत्। महोदया, निवेदन है कि मैं मकसूद अली पुत्र श्री कासीम अली जाति मुसलमान सांई, उम्र-50 वर्ष, निवासी कायमखानी होस्टल के सामने, बालीया रोड़, डीडवाना का रहने वाला हूं। कस्बा डीडवाना में खसरा नम्बर 2462 में मेरे दादाजी के नाम पैतृक सम्पति है, जिसमें मेरा मकान भी बना हुआ है। वक्फ बोर्ड ने उक्त सम्पति को अपनी जमीन मानते हुए हमारे विरूद्ध केस दर्ज करवाया, जो वर्तमान में वर्ष 2003 से वक्फ बोर्ड न्यायालय जयपुर में चल रहा है। मैं वक्फ बोर्ड, न्यायालय के कर्मचारी सलावत खान से मिला तथा मेरे केस के निस्तारण के सम्बन्ध में बातचीत की तो सलावत खान ने उक्त केस में मेरे पक्ष में निर्णय करवाने की एवज में मेरे से 20 लाख रूपये रिश्वत की मांग की। मैं मेरे वाजिब काम के बदले सलावत खान को रिश्वत देना नहीं चाहता हूं तथा रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार करवाना चाहता हूं। मेरा सलावत खान से कोई उधार का लेन देन नहीं है तथा न ही कोई रंजीश है। कानूनी कार्यवाही फरमावें। दिनांक 07.02.2026 भवदीय एसडी मकसूद अली डीडवाना मो. एसडी अयूब खां (नानजी) कायम नगर साल्ट रोड़, डीडवाना। ट्रेप कार्यवाही प्रारम्भ की गई। एसडी कल्पना सोलंकी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्र.नि.ब्यूरो, नागौर 07.02.26 कार्यवाही पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नागौर निवेदन है कि दिनांक 07.02.2026 को समय 10.00 ए.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कल्पना सोलंकी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्र. नि.ब्यूरो, नागौर के मोबाईल नम्बर पर परिवादी श्री मकसूद अली ने फोन कर बताया कि मेरे पैतृक संपति का केस वर्ष 2003 से वक्फ बोर्ड न्यायालय जयपुर में चल रहा है, मेरे उक्त केस का फैसला मेरे पक्ष में करवाने की एवज में वक्फ बोर्ड न्यायालय जयपुर का कर्मचारी सलावत खान 20 लाख रूपये रिश्वत की मांग कर रहा है। मैं सलावत खान को रिश्वत लेते हुए पकड़वाना चाहता हूं। जिस पर परिवादी श्री मकसूद अली को एसीबी की कार्यप्रणाली समझाकर अग्रिम कार्यवाही करने का आश्वासन देकर हिदायत मुनासिब कर ब्यूरो चौकी नागौर उपस्थित होकर लिखित शिकायत प्रस्तुत करने बाबत् कहा तो बताया कि मैं आज नागौर आपके कार्यालय पर उपस्थित होने में असमर्थ हूं तथा वक्फ बोर्ड न्यायालय जयपुर का कर्मचारी सलावत खान आज डीडवाना उपस्थित है, आप किसी कार्मिक को भेज दो, मैं आज ही रिश्वत की मांग का सत्यापन करवा सकता हूं। जिस पर परिवादी को गोपनीयता बनाये रखने एवं आज ही डीडवाना में मिलने की हिदायत कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक परिवादी श्री मकसूद अली से मिलने हेतु वार्ता कर कार्यालय अलमारी से रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता हेतु डिजीटल टेप रिकॉर्डर निकालकर नया मैमोरी कार्ड इश्यू कर श्री कानाराम कानि. नम्बर 532 को हमराह लेकर जरिये प्राईवेट वाहन कस्बा डीडवाना के लिए रवाना हुई। वक्त 08.00 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय कार्यालय हाजा के डिजीटल टेप रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड जरिये प्राईवेट वाहन तारीख ईमरोजा की रवानाशुदा हमराह कानि. कानाराम के उपस्थित कार्यालय आयी। दर्ज रहे कि वक्त 12.30 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हमराह कानि. कानाराम नम्बर 532 मय कार्यालय हाजा के डिजीटल टेप रिकॉर्डर के ब्यूरो चौकी नागौर से रवाना होकर कस्बा डीडवाना पहूंची, जहां कस्बा डीडवाना के बाहर परिवादी श्री मकसूद अली एक अन्य व्यक्ति के साथ उपस्थित मिले। परिवादी मकसूद अली ने अपने साथ उपस्थित व्यक्ति का परिचय देते हुए बताया कि यह मेरे परिचित श्री अयुब खान उर्फ नानजी है, वक्फ बोर्ड न्यायालय जयपुर के कर्मचारी श्री सलावत खान आज अपने घर पर मेरे कार्य से सम्बन्धित बात कर रिश्वत राशि की मांग बाबत् वार्ता करेगा। मेरे परिचित श्री अयुब खान उर्फ नानजी जो मेरे साथ है, इन पर सलावत खान भरोसा करता है तथा मेरे कार्य से सम्बन्धित इनसे स्पष्ट रिश्वत की मांग करेगा। मेरे अकेले से रिश्वत राशि के सम्बन्ध में स्पष्ट वार्ता नहीं करता है, इसलिए वार्ता हेतु इनको साथ लेकर आया हूं तथा श्री अयुब खान उर्फ नानजी ट्रेप कार्यवाही करवाने में मेरे साथ सहमत होकर बतौर सह-परिवादी मेरे साथ ही उपस्थित रहेंगे। परिवादी श्री मकसूद अली ने एक लिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि " सेवामें, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नागौर (राज.), विषय - वक्फ बोर्ड के कर्मचारी सलावत खां को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़वाने बाबत्। महोदया, निवेदन है कि मैं मकसूद अली पुत्र श्री कासीम अली जाति मुसलमान सांई, उम्र-50 वर्ष, निवासी कायमखानी होस्टल के सामने, बालीया रोड़, डीडवाना का रहने वाला हूं। कस्बा डीडवाना में खसरा नम्बर 2462 में मेरे दादाजी के नाम पैतृक सम्पति है, जिसमें मेरा मकान भी बना हुआ है। वक्फ बोर्ड ने उक्त सम्पति को अपनी जमीन मानते हुए हमारे विरूद्ध केस दर्ज करवाया,

जो वर्तमान में वर्ष 2003 से वक्फ बोर्ड न्यायालय जयपुर में चल रहा है। मैं वक्फ बोर्ड, न्यायालय के कर्मचारी सलावत खान से मिला तथा मेरे केस के निस्तारण के सम्बन्ध में बातचीत की तो सलावत खान ने उक्त केस में मेरे पक्ष में निर्णय करवाने की एवज में मेरे से 20 लाख रूपये रिश्वत की मांग की। मैं मेरे वाजिब काम के बदले सलावत खान को रिश्वत देना नहीं चाहता हूं तथा रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार करवाना चाहता हूं। मेरा सलावत खान से कोई उधार का लेनदेन नहीं है तथा न ही कोई रंजिश है। कानूनी कार्यवाही फरमावें। परिवादी ने दरियाफ्त पर बताया कि कस्बा डीडवाना मे मेरे दादाजी के नाम खसरा नम्बर 2462 में जमीन व मकान बना हुआ है, जिस पर कई वर्षो से हमारा कब्जा है, वर्ष 2003 में वक्फ कमेटी द्वारा उक्त जमीन को अपनी बताते हुए हमारे परिवार के विरूद्ध केस दर्ज करवाया था, जो वर्तमान में वक्फ बोर्ड न्यायालय जयपुर में विचाराधीन है, उक्त केस के सिलसिले में वक्फ बोर्ड कर्मचारी सलावत खान जो डीडवाना का रहने वाला है, जिससे मैं कई बार मेरे काम के सम्बन्ध में मिला तो केस का फैसला हमारे पक्ष में करवाने की एवज में सलावत खान द्वारा मेरे से 20 लाख रूपये रिश्वत राशि व विवादित जमीन में से एक दुकान की जमीन खुद के लिए मांग की। तब मैने मेरे परिचित श्री अयूब खां उर्फ नानजी से इस सम्बन्ध में चर्चा की तो अयुब खां ने कानूनी कार्यवाही करने बाबत् कहा। परिवादी श्री मकसूद अली ने बताया कि वक्फ कमेटी के कर्मचारी से वार्ता के दौरान मेरे चाचाजी भी साथ उपस्थित रहेंगे, लेकिन मेरे चाचाजी को उक्त कार्यवाही के बारे में जानकारी नहीं है तथा न ही कार्यवाही बाबत् सहमत है। दरियाफ्त से मामला रिश्वत मांग का पाया जाने एवं सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से कार्यालय का डिजीटल टेप रिकॉर्डर को परिवादी को चालू बन्द करने की विधि समझाई। तत्पश्चात हमराह कानिस्टेबल श्री कानाराम नम्बर 532 को परिवादी श्री मकसूद अली व सह-परिवादी श्री अयूब खां (नानजी) के साथ आरोपी श्री सलावत खान से रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता हेतु आरोपी के निवास स्थान छापरी खुर्द की ओर प्राईवेट वाहन से रवाना किया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, कस्बा डीडवाना के बाहर मुकीम रही। करीब दो घंटे पश्चात श्री कानाराम कानि. नम्बर 532 मय परिवादी व सह-परिवादी के मेरे समक्ष उपस्थित आये, श्री कानाराम कानि. ने डिजीटल टेप रिकॉर्डर मेरे को सुपूर्द करते हुए बताया कि यहां से रवाना होकर छापरी खुर्द के नजदीक पहूंच मैने डिजीटल टेप रिकॉर्डर चालू कर परिवादी मकसूद अली को सुपूर्द किया, जिस पर परिवादी मकसूद अली व सह-परिवादी श्री अयुब खां उर्फ नानजी वहां से रवाना होकर परिवादी ने अपने चाचाजी को अपने साथ लेकर आरोपी के निवास स्थान में गये। कुछ समय पश्चात तीनों वहां से निकलकर परिवादी व सह-परिवादी मेरे पास उपस्थित आये, जिनसे मैने डिजीटल टेप रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड प्राप्त किया, ताबाद रवाना होकर आपके समक्ष उपस्थित आये। परिवादी श्री मकसूद अली ने श्री कानाराम कानि. द्वारा बताये गये तथ्यों की ताईद करते हुए बताया कि मैं व मेरे चाचाजी तथा अयुब खां, वक्फ बोर्ड न्यायालय के कर्मचारी सलावत खां के निवास स्थान पर जाकर हमारे केस के सम्बन्ध में बातचीत की। बातचीत के दौरान हमारे द्वारा काफि निवेदन करने पर अंत में श्री सलावत खान उक्त केस में फैसला हमारे पक्ष में करवाने की एवज में 08 लाख रूपये रिश्वत की मांग कर, विवादित जमीन से स्वयं हेतु एक दुकान की जमीन हेतु भी मांग की तथा इसके पश्चात कहा कि दिनांक 18.02.2026 को मैं तुम्हारे पक्ष में फैसला करवाकर निर्णय की प्रति तुम्हारे को पहले दूंगा, बाद में दो किश्तो में रूपये लूंगा। जिस पर डिजीटल टेप रिकॉर्डर को चालू कर सुना गया तो कानिस्टेबल श्री कानाराम व परिवादी श्री मकसूद अली द्वारा बताये गये तथ्यों की ताईद हुई। परिवादी व सह-परिवादी को गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत कर रूख्सत किया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय डिजीटल टेप रिकॉर्डर मय परिवादी द्वारा प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट एवं हमराह कानिस्टेबल को लेकर ब्यूरो चौकी उपस्थित आई। डिजीटल टेप रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड व परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कार्यालय अलमारी में सुरक्षित रखा जाकर हालात उच्चाधिकारियों को निवेदन किये गये। दिनांक 18.02.2026 को परिवादी श्री मकसूद अली व सह-परिवादी श्री अयुब खां उर्फ नानजी ब्यूरो चौकी उपस्थित आये। सह-परिवादी श्री अयुब खां ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि आरोपी सलावत खान ने कल रात को मेरे मोबाईल पर व्हाट्स अप कॉल कर कहा कि मुझे किसी तरह के पैसे की जरूरत नहीं है, मैं मकसूद अली के केस में कोई रूपये नहीं लूंगा तथा रूपये लेने हेतु स्पष्ट इनकार कर दिया। परिवादी श्री मकसूद अली ने बताया कि सलावत खान को हमारे पर शक हो गया है, अब सलावत खां हमारे केस में अब हमसे रिश्वत राशि नहीं लेगा। परिवादी को निर्देशित किया गया कि अगर आरोपी दुबारा किसी तरह रिश्वत राशि लेने हेतु सम्पर्क करता है तो तुरन्त मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुचित करे। चुंकि परिवादी उपस्थित है, रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की ट्रान्सक्रिप्ट तैयार की जानी है, जिस पर श्री मुकेश कुमार हैड कानि. नम्बर 39 को दो स्वतन्त्र गवाहान की तलबी हेतु संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं स्थायी प्रावधायी विभाग, नागौर के नाम की तहरीर देकर कार्यालय संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, नागौर को रवाना किया गया। थोड़ी देर बाद श्री मुकेश कुमार हैड कानि. मय दो स्वतन्त्र गवाहान श्री अभिमन्यु सिंह पुत्र श्री अमरसिंह, जाति राजपूत, उम्र 28 वर्ष, निवासी ग्राम जोधियासी पुलिस थाना श्रीबालाजी, तहसील व जिला नागौर हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय, संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, नागौर व श्री पूनमचन्द स्वामी पुत्र श्री रामजीवन, जाति साद, उम्र 35 वर्ष, निवासी जायल पुलिस थाना जायल, तहसील जायल, जिला नागौर हाल वरिष्ठ सहायक, कार्यालय, संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, नागौर के उपस्थित कार्यालय आये। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनों गवाहान से परिवादी व सह-परिवादी का परिचय करवाया जाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पढाया गया व डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में

रिकॉर्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के मुख्य मुख्य अश सुनाये गये, जिस पर दोनों गवाहान ने सन्तुष्ट होकर स्वतन्त्र गवाह बनने की सहमती प्रदान की। ताबाद वक्त 02.00 पी.एम. पर डिजिटल टेप रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड में दर्ज दिनांक 07.02.2026 को आरोपी एवं परिवादी, सह-परिवादी व अन्य के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता को सुनकर कम्प्यूटर से शब्द ब शब्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करवाई गई तथा डिजिटल टेप रिकॉर्डर को कम्प्यूटर से कनेक्ट कर मैमोरी कार्ड में दर्ज रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के तीन पैन ड्राईव पृथक-पृथक बनवाये गये। रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के मूल मैमोरी कार्ड व पैन ड्राईव की हैज वैल्यू निकालकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। ताबाद डिजिटल टेप रिकॉर्डर से मूल मैमोरी कार्ड निकालकर कपडे की थैली में डालकर सिल्ड कर एफ.एस.एल. परीक्षण हेतु वार्ता के दोनों पैन ड्राईव अलग-अलग कपड़े की थैलियों में डालकर पृथक-पृथक सिल्ड कर न्यायालय व आरोपी हेतु तथा एक पेन ड्राईव अनुसंधान अधिकारी हेतु कागज के लिफाफे में डालकर सभी पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर आई.ओ. पेन ड्राईव शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात कार्यवाही में अब तक तैयार की गई समस्त फर्दात एवं जब्तशुदा आर्टीकल्स पर कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नागौर की जिस पीतल की मोहर का प्रयोग किया गया, उक्त सील की फर्द नमूना सील मुर्तिब की जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। ताबाद मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यवाही में रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता का सफेद कपड़े की थैली में सील्ड सुदा मूल मैमोरी कार्ड एफ.एस.एल. परीक्षण हेतु, रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के दो पृथक-पृथक सील्ड सुदा पैन ड्राईव न्यायालय व आरोपी श्री सलावत खां हेतु मालखाना प्रभारी श्री मोहनराम हैड कानि० को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाये गये तथा परिवादी श्री मकसूद अली, सह-परिवादी श्री अयुब खां उर्फ नानजी तथा स्वतंत्र गवाहान श्री पूनमचन्द स्वामी व श्री अभिमन्यु सिंह को बाद कार्यवाही आवश्यक हिदायत कर रुखसत किया गया। उपरोक्त ट्रेप कार्यवाही का समय-समय पर रनिंग नोट पृथक से तैयार किया गया। निवेदन है कि दिनांक 18.02.2026 को परिवादी श्री मकसूद अली व सह-परिवादी श्री अयुब खां उर्फ नानजी ने उपस्थित चौकी होकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत करवाया कि दिनांक 17.02.26 को आरोपी श्री सलावत खान ने सह-परिवादी श्री अयुब खां के मोबाईल पर व्हाट्स अप कॉल कर कहा कि मुझे किसी तरह के पैसे की जरूरत नहीं है, मैं मकसूद अली के केस में कोई रूपये नहीं लूंगा तथा रूपये लेने हेतु स्पष्ट इन्कार कर दिया है तथा परिवादी श्री मकसूद अली ने बताया कि सलावत खान को हमारे पर शक हो गया है, अब सलावत खां हमारे केस में अब हमसे रिश्वत राशि नहीं लेगा। तत्पश्चात दिनांक 06.03.2026 को परिवादी से हुई वार्ता में परिवादी को पूर्व में दिये गये निर्देशानुसार आरोपी द्वारा रिश्वत राशि के लेन-देन हेतु दुबारा सम्पर्क करने पर परिवादी ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि आरोपी ने अब तक मेरे से रिश्वत राशि लेन-देन हेतु कोई सम्पर्क नहीं किया है और ना ही मुझे फोन किया है। आरोपी को उक्त कार्यवाही की पूर्ण रूप से भनक लग चुकी है। अब आरोपी मेरे से किसी प्रकार की बातचीत व रिश्वत राशि का लेन-देन नहीं करेगा। चूंकि परिवादी व सह परिवादी द्वारा बतायेनुसार आरोपी श्री सलावत खान को उक्त कार्यवाही की भनक लगने से अब किसी तरह की वार्ता या रिश्वती लेन-देन नहीं होने के कारण अग्रिम ट्रेप कार्यवाही किया जाना संभव नहीं है। उपरोक्त कार्यवाही से पाया गया कि आरोपी श्री सलावत खां, लिपिक, वक्फ बोर्ड न्यायालय, जयपुर द्वारा परिवादी श्री मकसूद अली के कस्बा डीडवाना में स्थित पैतृक सम्पति का वक्फ बोर्ड न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में पक्ष में फैसला करवाने की एवज में आरोपी लिपिक द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर अपने वैद्य पारिश्रमिक से भिन्न वक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता में 8,00,000/- रूपये रिश्वत राशि व परिवादी की पैतृक सम्पति में से एक दूकान की मांग करने पर आरोपी श्री सलावत खां, लिपिक, वक्फ बोर्ड न्यायालय, जयपुर का उक्त कृत्य अन्तर्गत जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध प्रथम दृष्ट्या घटित होना पाया जाता है। अतः आरोपी श्री सलावत खां पुत्र श्री भंवरू खां, जाति कायमखानी, उम्र 49 वर्ष, निवासी छापरी खुर्द, तहसील डीडवाना, जिला डीडवाना-कुचामन हाल सीनियर रीडर, राजस्थान वक्फ अधिकरण, जयपुर के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में अभियोग पंजिबद्ध करने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक महोदय, भ्र.नि.ब्यूरो राज0 जयपुर की सेवामें सादर प्रेषित है। भवदीया, (कल्पना सोलंकी) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नागौर..... कार्यवाही पुलिस.....प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमती कल्पना सोलंकी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नागौर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री सलावत खां पुत्र श्री भंवरू खां, जाति कायमखानी, उम्र 49 वर्ष, निवासी छापरी खुर्द, तहसील डीडवाना, जिला डीडवाना-कुचामन हाल सीनियर रीडर, राजस्थान वक्फ अधिकरण, जयपुर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्रीमती वन्दना भाटी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 260 पर अंकित है। (अनिल कयाल) उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 623-26 दिनांक 10.04.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर 2- पीठासीन अधिकारी (न्यायाधीश), राज. वक्फ अधिकरण, जयपुर 3- उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज अजमेर 4- अतिरिक्त

पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नागौर । उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** Vandana bhati **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Anil Kumar Kayal
Location: Rajasthan,IN
Date: 10/04/2026 16:27:42

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): ANIL KAYAL

Rank (पद): Dy. IG (Deputy Inspector General)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1977				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)